

RAJYA SABHA

Thursday, the 29th My, 1993/the 7th Sravana,
1915 (Saka)

The House met at eleven of the dock. Mr.
Chairman in the chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

आवास रक्षित ग्रामीणों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण

*61. श्री शिव प्रसाद शमशुरिया : क्या प्रधान मंत्री
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1993 तक आवासहीन ग्रामीण क्षेत्रों को
राज्य-वार कुल कितने आवास रुंड आवंटित किए गए हैं;

(ख) इन आवासहीन लाभभूमिगियों को आवास खंडों के
निर्माण हेतु केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों से पृथक-पृथक
कितना अनुदान दिया गया और उसका राज्य वार ब्यौरा
क्या है;

(ग) उनमें से कितने लाभभूमिगियों ने अपने आवास का
निर्माण नहीं किया;

(घ) क्या यह सच है कि आवास के निर्माण के लिए
विस्तृत सहायता तथा भूखण्ड प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में से
25 प्रतिशत लोग आवासहीन की पान्ता नहीं रखते; और

(ङ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ऐसे अपात्र व्यक्तियों से
विस्तृत सहायता की राशि तथा भूखण्ड का मुक्त्य वसूल करने के
लिए कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग)
में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ङ) एक
विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में राज्य
क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत बेघर ग्रामीण लोगों को आवास
स्थल आवंटित किए जाते हैं जिसकी निगरानी 20-सूत्री कार्यक्रम
के सूत्र संख्या 14 के अन्तर्गत की जाती है। इसी के दूसरे घटक
के रूप में उन क्षेत्रों को निर्माण सहायता भी दी जाती है जिनके
पास कुछ भूमि है और जिन्हें निर्माण सहायता की आवश्यकता
है। राज्य इस योजना को अपने संसाधनों से कार्यान्वित कर रहे
हैं जिनका सहायता का पैटर्न भिन्न-भिन्न है। इन योजनाओं
के अन्तर्गत खर्च की निगरानी राज्य स्तर पर की जाती है।
1992-93 के दौरान आवास स्थल आवंटित किए गए परिवारों
और जिन परिवारों को निर्माण सहायता दी गई है, की राज्यवार
संख्या संलग्न अनुबन्ध-1 में दी गई है।

अनुबन्ध-1

1992-93 के दौरान उपलब्ध कराए गए आवास भूखंडों (सूत्र
संख्या 14 क), निर्माण सहायता (सूत्र संख्या 14 ख) के आवंटन
की प्राप्ति

क्र०	राज्य/क्षेत्र	आवास भूखंडों का आवंटन	सुईया कराई गई निर्माण सहायता
		(लाभार्थियों की सं०)	(लाभार्थियों की सं०)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	108928	152667
2.	अरुणाचल प्रदेश	**	1253
3.	असम	7778	7778
4.	बिहार	21628	**
5.	गोवा	54	33
6.	गुजरात	37184	29248
7.	हरियाणा	0	1840
8.	हिमाचल प्रदेश	0	189
9.	जम्मू और कश्मीर	2	0
10.	कर्नाटक	155663	17384
11.	केरल	2323	131435
12.	मध्य प्रदेश	18013	18460
13.	महाराष्ट्र	0	0
14.	मणिपुर	**	**
15.	मेघालय	**	2784
16.	मिजोरम	2200	1120
17.	नागालैंड	**	8
18.	उड़ीसा	12719	9744
19.	पंजाब	**	**
20.	राजस्थान	36302	18594
21.	सिक्किम	**	352
22.	तमिलनाडु	354838	30000
23.	त्रिपुरा	896	2650
24.	उत्तर प्रदेश	123115	103190
25.	पश्चिम बंगाल	3663	2559
26.	उडुमान और निकोबार द्वीप समूह	**	0

27. बंहीगाढ़	1745	**	योजना के अन्तर्गत प्रत्येक मकान के लिए लागत की सीमा निम्न प्रकार है:—	
28. बाहर और नगर हवेली	15	1075		
29. हमन और शैच	**	0		रुपए
30. दिल्ली	0	0	मकान का निर्माण	8,000
31. लखनौ	**	**	स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण	1,400
32. पाकिस्तान	854	1486	ढांचा तथा सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था	3,300
योग :	887920	533841		

** योजना नहीं चल रही है ।
0 प्राप्त नहीं/शून्य ।

केन्द्र सरकार भी अवासर रोजगार योजना की एक नए योजना के रूप में इन्दिरा आवास योजना नामक एक योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके लिए प्रतिवर्ष अवासर रोजगार योजना के अन्तर्गत 6 प्रतिशत निधियां निर्धारित की जाती हैं । इस योजना का आश्रय ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और मुक्त बन्दूक मजदूरों के गरीबों में से सबसे गरीब लोगों के लिए निःशुल्क मकानों का निर्माण करना है । इस

पर्यतीय क्षेत्रों, प्रतिकूल भूमि परिस्थितियों अथवा दूर-दराज के क्षेत्रों सहित कठिन क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की लागत 8,000 रुपए की बजाय 9,800 रुपए तक हो सकती है । ऐसे मामलों में जहाँ मकान समूहों में अथवा छोटी-छोटी बनावटों की नीति के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं, ढांचा तथा सामान्य सुविधाओं के लिए उपलब्ध 3,300 रुपए की राशि को भी मकानों के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । इस राशि को उसी मकान पर अथवा अतिरिक्त मकानों के लिए एक बड़े परिव्यय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । 1992-93 के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत राज्यवार वित्तीय और भौतिक प्रगति संलग्न अनुबन्ध-2 में दर्शायी गई है ।

अनुबन्ध 2

इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1992-93				
		आवंटन (लाख रु० में)	हास्य (रु०) †	निर्मित मकानों की (संख्या)	निर्माणाधीन मकानों की संख्या	खर्च (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	980.25	7719	10961	3415	1264.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	40.90	282	276	0	5.816
3.	असम	148.44	1091	1037	11	130.76
4.	बिहार	2024.73	14509	28189	12766	3212.15
5.	गोवा	1.19	54	55	0	3.65
6.	गुजरात	597.76	4546	4889	2696	638.94
7.	हरियाणा	116.52	917	1002	41	120.58
8.	हिमाचल प्रदेश	49.68	343	347	0	51.28
9.	जम्मू व कश्मीर	28.93	200	235**	0	16.08**
10.	कर्नाटक	674.18	5309	7197	0	803.70
11.	केरल	214.69	1690	4100	0	527.98
12.	मध्य प्रदेश	2262.57	17816	47156	28682	2626.55

13. महाराष्ट्र	947.72	6974	8778	0	1181.51
14. मणिपुर	8.38	58	213	58	22.15
15. मेघालय	63.64	439	432	139	47.06
16. मिजोरम	31.92	220	224	0	32.11
17. नागालैंड	55.47	383	1603	0	232.44
18. उत्तराखण्ड	1168.40	8885	11305	3721	1402.39
19. पंजाब	159.41	1255	3359	2834	790.98
20. राजस्थान	942.33	7166	11541	7787	1094.43
21. सिक्किम	7.39	51	140	0	20.73
22. तमिल नाडु	894.65	7044	9314	23971	2549.67
23. त्रिपुरा	40.50	279	343	0	32.00
24. उत्तर प्रदेश	2425.97	18448	22218	0	2933.01
25. पश्चिम बंगाल	1436.15	11308	13300	0	1695.48
26. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.00	16	20***	80	0.51***
27. दादरा और नगर हवेली	7.58	60	52	0	7.01
28. दमन और दीव	0.99	8	0	21	1.06
29. लक्षद्वीप	2.00	16	0	0	0.00
30. पण्डिचेरी	5.99	47	47	0	6.16
योग :	15340.36	117133	188084	86222	21441.18

- † 58166 इकाइयों का उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है ।
 ‡ 37709 इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया था ।
 0 शून्य/असूचित
 @ अनिश्चित
 * जनवरी, 93 तक
 ** दिसम्बर, 92 तक
 *** फरवरी, 93 तक

आवास स्थलों के ऐसे आवंटितियों, जिन्होंने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण सहायता प्राप्त कर लेने को बाद अभी तक अपने मकानों का निर्माण शुरू नहीं किया है, की संख्या के बारे में सूचना की निगरानी केन्द्र के बजाय केवल राज्य स्तर पर ही रखी जाती है क्योंकि यह योजना राज्य क्षेत्र में ही कार्यान्वित की जाती है ।

भारत सरकार को ऐसे लोगों, जिन्होंने राज्य योजनाओं के अन्तर्गत भू-खपट और निर्माण सहायता प्राप्त की है, की अपात्रता के बारे में कोई जानकारी नहीं है । ऐसे मामलों के भारत सरकार के ध्यान में आने की दशा में उचित उपाय करने के लिए उन मामलों को संबंधित राज्य सरकार को भेजने की कार्यवाही की जाएगी ।

श्री शिव प्रसाद चन्पूरिया : समाप्ति महोदय, जो स्टेटमेंट रखा गया है उसमें मेरे प्रश्नों का उत्तर सही-सही नहीं आया । मैंने यह पूछा था कि कुल कितने आवास खंड आवंटितियों को वितरित किए गए ? विवरण में इंदिरा आवास योजना का बिक्रि कर दिया गया और उसके बारे में यह कह दिया

गया कि राज्य सरकार इसका हिसाब रखती है । राज्य सरकार हिसाब रखती है अपने लिए हुए पैसे का लेकिन केन्द्र की राज्य सरकारों को अनुदान मिल रहा है । इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि कुल कितने अपात्र लोगों को भूखंड दिए गए हैं जो बड़ी-बड़ी इकाइयों कर रहे हैं, जिनकी बड़ी-बड़ी खेतियां हैं और बड़ी-बड़ी तनख्वाहें हैं । मेरे हिसाब से ऐसे लोगों की संख्या 25 प्रतिशत है । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिन अधिकारियों ने अपात्र लोगों को आवस खंड दिए, प्रशासकीय अनुदान दिए, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे ? इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, जो प्रश्न पूछा गया है उसमें आप आवस खंड की बात कर रहे हैं । ऐसे गरीब लोग जिनके पास कमीन नहीं है या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें यह सुविधा दी जाती है और उसका हमने पूरा विवरण, राज्यवार विवरण दे दिया है कि किन-किन राज्यों में कितने भूखंड बांटे गए हैं । कुल मिलाकर 8,87,920 भूखंड आवंटित किए गए हैं मकान बनाने के लिए । ये भूखंड दुकानदारों या अन्य लोगों को दिए गए हैं, ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है । ये जो

दोनों मकान बनाने के कार्यक्रम है इसकी व्यवस्था राज्य सरकार ही करती है। एक तो राज्य सरकार का अपना कार्यक्रम है और केन्द्रीय सरकार की जो इंदिरा आवास योजना है, उसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार ही करती है। दोनों ही गरीब लोगों के मकान बनाने के लिए हैं और हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 25 प्रतिशत दुकारदारों या संपन्न लोगों को ये भूखंड दिए गए हैं। इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। यदि किसी खास मामले के विषय में सूचना मिलेगी तो हम माननीय सदस्य को राज्य सरकार से सूचना उपलब्ध कराकर सूचित करेंगे।

श्री शिवाज राघाव चन्पुरिया : सम्प्रति महोदय, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह सवाल पूछ रहा हूँ। आपने यह कहा कि यदि आपको ऐसी कोई सूचना मिलेगी कि इन लोगों में से 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो अपना है और उन्होंने ये भूखंड और अनुदान प्राप्त कर लिए हैं तो आप कार्यवाही करेंगे। मैं आपको सूचना मुहैया कराऊंगा लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि आप अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने का वचन दें कि उन्होंने ऐसे लो-लेकर ये भूखंड बांटे और अनुदान दिए।

समापति महोदय, सांस्कृतिक अनुदान कितने बढ़े पैमाने पर गया है अपना लोगों के पास, अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो पता लगता है कि 3 अरब रुपये से अधिक अनुदान की राशि दे दी गई है और यह भारत सरकार पैसे के लिए रो रही है। तो मेजरबानी करके कार्यवाही करने का आप आश्वासन दें। जमी-जमी मेरे पास सूचना आई है कि एक तबसीलदार ने दुकान खोल रखी है। 500 रुपये सत्रों और हमसे पट्टा ले लो। तो मेरा निवेदन है कि आवासीय भूखंडों के अलाउमेंट की गढ़बंदी के बारे में जो महीने के भीतर जांच की जाए तो ये सारे पट्टे खारिज करने लायक हैं। इस में कार्यवाही करने का आश्वासन मंत्री जी देने की कृप्य करेंगे ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, माननीय सदस्य हमें विधिवत ऐसे क्षेत्रों की सूचना दे दें, ध्यान का व अन्य विवरण दे दें तो हम राज्य सरकारों को निर्देश देंगे कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके ऐसे जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री रामेश्वर सिंह : समापति महोदय, मेरी सूचनानुसार इस कार्यक्रम में अनामक के फसलरूप प्रयोजनों में हर वर्ष बहुत कम लोग लाभान्वित हो पाते हैं। जिस गति से यह योजना चल रही है ऐसा लगता है कि बेघर लोगों के समस्या का समाधान अभी भी नहीं हो पाएगा। तो मैं आपसे माचकम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने प्रोब्लेम्स को हल करने का कोई कार्यक्रम बनाया है कि आज की डेट में कितने लोग बेघर हैं ? अब आप आवास योजना के संदर्भ में किसी प्रदेश को संशोधन देते हैं तो क्या इन संकटों को हल करने में रखा जाता है ? क्या सरकार ने कोई ऐसा कार्यक्रम बनाया है कि समूह समूह तक किसी प्रदेश में कोई व्यक्ति बेघर नही रहेगा ? अगर ऐसा किया गया है तो उस संकट में कौन क्या है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : महोदय, योजना कमीशन की ओर से एक अप्रैल, 1991 तक प्रत्येक राज्य में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आवासों की कितनी कमी है, इसकी गणना की गई है। उसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 20.61 मिलियन यूनिट्स की कमी थी। सारे राज्यों को मिलाकर एक अप्रैल 1991 को शहरी क्षेत्रों में 10.36 मिलियन यूनिट्स की कमी थी, कुल मिलाकर 30.97 मिलियन यूनिट्स की कमी थी। ऐसा अनुमान किया गया है कि प्रति साल हमें करीब 2 मिलियन और आवश्यकता होती है। यानी इस तरह से इस प्रतापी के संत तक करीब करीब 40 मिलियन यूनिट्स आवास की आवश्यकता होगी, यह कमी रहेगी। अभी तक यह भूखि राज्य का विषय है और राज्य सरकारें अपने अपने यहाँ विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार की राशि देकर इस कार्यक्रम को चला रही हैं।

अब तक केन्द्र की सहायता का संबंध है, हम लोग उसमें इस तरह की सभी कमियों वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर जो सबसे गरीब वर्ग के लोग हैं जिनमें कि खास तौर से जो सुझाए गए मजदूर हैं, प्रीत बाईट लोकर, इनके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उनमें भी जो विविध हैं, जिन पर किसी कारण से अत्याचार किया गया हो, या ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उन लोगों को विशेषता दी जाती है और यह कार्यक्रम जवाहर रोजगार योजना जो अभी बढ़ाई गई है, जिसकी राशि सभी राज्यों को भी जाती है, उसके संतर्गत 6 प्रतिशत खर्च राज्य सरकारों को करने के लिए कहा गया है। ये काम राज्य सरकारों कर रही हैं। यह कहना मुश्किल है कि कितने मकान जवाहर रोजगार योजना में बन रहे हैं, अभी 6 लाख 25 हजार यूनिट साल में बनते हैं, यह क्वेस्ट नहीं है यदि कमी पूरी करना चाहे।

जो नेशनल हाउसिंग पॉलिसी है, राष्ट्रीय मकान नीति जो बनाई गई है उसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक गरीब लोगों के लिए मकान का प्रावधान किया जाए। उस नीति के अनुसार जवाहर रोजगार योजना के संतर्गत हम और अधिक मकान बना सकें, इस पर विचार कर रहे हैं।

SHRI TTNDIVANAM G. VENKATRAMAN : Mr. Chairman, Sir, will the Minister be pleased to stte what the total number of amplications received from the homeless is and how many of them have been allotted the houses ? I would like to know what the norms fixed are and whether they have been followed correctly.

SHRI RAMESHWAR THAKUR : Sir, the amplications are received by the State Governments and at the moment neither this Pan relates to the question nor have I readily die number of applications but certainly I have given the number of allotments made. It is 87,920.

SHRI TINDIVANAM G. VENKAT-RAMAN : What are the norms followed in making allotments? He has not answered it.

MR. CHAIRMAN: Norms he has mentioned already.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, earlier I have stated the norms—people below the poverty line, those who are landless labourers, people who are SCs/STs and those who are freed bonded labourers.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, the cost ceiling for each house under this schemers as follows : construction of house—Rs. 8,000. We all know that cost escalation in the construction materials is so high that with this cost ceiling, i.e. Rs. 8,000—which is very low—building a house in which one can live is not possible*. Most of the State Governments also brought this matter to the notice of the Central Government because eight thousand is nothing now a days. Therefore, I would like to know from the Hon. Minister whether there is any proposal to increase the cost ceiling from 8,000 to say, about 11,000 or 12,000 or 13,000. This is a very important issue. In almost all places this is the complaint. In my State, Andhra Pradesh, this Housing Scheme is very well implemented. In some States like Andhra Pradesh and other places it is very well implemented. People are benefited by it. But the only snag is that the cost ceiling is so low that they are not able to build a house which can be worth living. Minimum facilities are also not being provided there. Therefore, some amount of the money which is allotted, is not being utilised by the beneficiaries. Therefore, I would request the Hon. Minister to review this issue once again and see that the cost ceiling is increased in view of the escalation in the cost of building materials.

SHRI RAMESHWAR THAKUR. Sir, the cost of construction depends on the type of buildings and the locations in various States. Our norms are: construction of house—Rs. 8,000, construction of sanitary latrine and smokeless chullah—Rs. 1,400 and provision of infrastructure and common facilities— Rs. 3300. This total amount is available to the beneficiary and depending on the hill areas and unfavourable soil conditions this amount can go up to Rs. 9,800. An additional amount of Rs. 3,300 given for infrastructural facilities can also be utilised. The State Governments are free to fix the norms from place to place within the overall limits. We have no such representation from the State Government of Andhra Pradesh.

In fact, the State Government of Andhra Pradesh had given us a proposal for 45,125 dwelling units which we have sanctioned for the current year and the programme is going on effectively in the State.

SHRI MENTAY PADMANABHAM : Sir, my point is this. Leave out this Rs. 1,400 for infrastructure. For construction of the building itself Rs. 8,000 is the ceiling. I would like to know in view of the cost escalation whether the Government will review this ceiling or not That is a simple question I am asking. He is saying a lot of other things. . . (*Interruptions*) ... Infra-structural facilities should always be there; otherwise, nobody can enter the house and nobody can come out of the house without these facilities. I don't want tinkering with that. But since the cost of the material has increased tremendously during the last few years; I would like to know whether there is any proposal before the Government of India to review this aspect This is a simple question.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, as I have mentioned earlier, the State Governments have different norms. I have figures of all the States, Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh and Gujarat. They vary so much. Particularly in Andhra Pradesh under the scheme 'Housing for Weaker Sections' the unit cost is Rs. 4,000 and for semi-permanent it is Rs. 8,000 ... (*Interruptions*) ...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: I am only talking of permanent.. . (*Interruptions*)

...

SHRI RAMESHWAR THAKUR: It is proposed to construct 1 lakh 98 thousand houses during 1993-94. This is a Government programme which is in addition to 45,000 ... (*Interruptions*)...

MX. CHAIRMAN: Is this amount all right ? ... (*Interruptions*) ...

SHRI MENTAY PADMANABHAM: In view of the escalation in the cost of building materials I would like to know whether: Government of India will review this ceiling or not ... (*Interruptions*) ... He can answer 'yes' or 'no'. This is a very simple question and I don't understand why the Hon. Minister is beating about the bush .. (*Interruptions*) ...

SHRI RAMESHWAR THAKUR: We are open to a discussion. But our desire is to construct more and more houses in rural areas in different States. But if there is a request from any State we will certainly consider it.

श्री अरुणदेव आनन्द पासवान : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में बिहार में माननीय मुख्य मंत्री लालू प्रसाद जी ने जो हरिजन कालोनियाँ बनायी हैं, उनमें उन कालोनियों को जिसका नाम दिया जाता है उसी को पैसा दे देते हैं। जो ठेकेदार कालोनियों को बनाते हैं, वह इस तरह से बनाये हैं, आप अगर यात्रा करें तो जहाँ तहाँ ऐसी कालोनियाँ बनी हुई हैं। वहाँ रहने, वाला कोई नहीं है। इसमें खे काम किये हैं। जिसके नाम से कालोनियाँ बन रहे हैं उसी को पैसा दे देते हैं और वे अपने दंग से बना रहे हैं, और उसमें उसकी पत्नी का नाम भी होता है। दोनों, पति-पत्नी के नाम से खे जाय तो दोनों में पकड़ा रहे, इसलिये दोनों के नाम से कालोनी बन जाती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है कि जो मकान बना रहे हैं उन्हीं के नाम से पैसा दिया जाये क्योंकि ठेकेदार आठ हजार, छ हजार में मकान बनाते हैं और वे मकान गिर जाते हैं और उसमें रहने वाले हरिजन मर जाते हैं। ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कर सकती है ?

श्री रामेश्वर ठाकुर : इंदिरा आवास योजना में किसी प्रकार से ठेकेदार बहाली की व्यवस्था नहीं है। जो उपभोक्ता है, वे स्वयं मकान बनायेंगे, उनको सहायता की राशि दी जाती है और आवश्यकतानुसार उन्हें राज्य सरकार से सामान उपलब्ध कराया जाता है। मकान स्वयं उपभोक्ता बनाते हैं। राज्य सरकार की खे सकता है अपनी योजना खे, जिसमें यह काम ठेकेदारों से कराते खे लेकिन इंदिरा आवास योजना में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है। लेकिन अगर माननीय सदस्य शिकायत देंगे और इंदिरा आवास योजना में अगर वह होगा तो हम उसकी तजवीज सख्ती तरह से करेंगे।

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, the Minister in his reply said that the scheme of land allotment and dwelling units is meant for homeless rural people. He has also given some figures for whom it is being done i.e., SC, ST, landless and bonded labourers. I would like to know how many bonded labourers have been given dwelling places here in Delhi and also in different States. I would like to know whether the Government has any data about this.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I have no ready information with me particularly of Delhi. But in the case of rural areas if I am given a specific notice I can obtain the figures and give them to the hon. Member.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Sir, the Minister has replied that the scheme includes bonded labourers. I want to know how many bonded labourers have been given dwellings in the rural areas.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: I said I will give it to the hon. Member.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Under the Indira Awaas Yojana, construction is going on in almost all Talukas and Districts in the rural parts. But as soon as the construction is over and the rainy season starts, it always gets demolished. Therefore, more than 75 per cent of the people are not getting any benefit out of this particular scheme. They have to go in for repairs. Particularly in Gujarat State in District Panchmahal in all talukas many houses had been constructed but they have got demolished and fallen. No investigation has been done as to why rough quality of construction material is being used. So, I would like to know whether the Government has ordered an enquiry into the rough construction of the houses and to find out whether the money was misappropriated. If so, in how many cases have they instituted such an enquiry?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, I have already mentioned that housing is a State subject and the large scale housing schemes are being implemented by different State Governments out of their own resources. In Gujarat also, the housing scheme for Halapatti, a Scheduled Caste and Scheduled Tribe community, is being implemented by that State. The unit cost under this scheme is Rs. 12,700 with 100 percent subsidy. Now, as regards the Indira Awaas Yojana, we have a system by which the beneficiary himself constructs the house. The subsidy amount is provided to him. Materials are provided by the State Governments, as I have earlier mentioned while replying to the other question. Therefore, normally, we do not receive such complaints because the beneficiaries are very keen and concerned about the proper construction and maintenance of their houses. Construction of the house with this amount is a *pukka* construction. If there are any specific complaints as regards the Indira Awaas Yojana or the other schemes, the hon. Member may give me the details and we will consult with the Gujarat Government and ask them to find out the reasons for such things.

Employment Generation Programmes Launched by KVIC

*62. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that special employment generation programmes have been